

राजस्थान-सरकार  
निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

अशोक मार्ग, सावित्री चौराहा, अजमेर (राजस्थान) 305001

E-MAIL 1. ayurvedajm@yahoo.co.in  
2. addlayurvedajm@yahoo.co.in  
3. esttayurved2014@gmail.com

टेलीफोन नम्बर : 0145-2425047  
0145-2435835  
0145-2425993

क्रमांक प01(प्रति.1)आयु.चिकि.नियु0 /2015 /

दिनांक 18.02.2016

**समस्त संबधित आशार्थी**

(आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग  
के पत्र क्रमांक प.10(22)आयु./2015 दिनांक  
18.02.2016 द्वारा जारी चयन सूची में वर्णित आशार्थी)

**विषय:-** आयुर्वेद चिकित्साधिकारी पद पर नियुक्ति हेतु जारी प्रोविजनल  
चयन सूची के सन्दर्भ में ।

प्रशासनिक विभाग के पत्र क्रमांक प.10(22)आयु./20105 जयपुर दिनांक  
18.02.2016 के द्वारा राजस्थान आयुर्वेद,यूनानी,होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा  
नियम-1973 (संशोधन-2013) के अन्तर्गत आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की सीधी भर्ती हेतु  
जारी विज्ञप्ति संख्या 4/2013 की नवीन संशोधित वरियता सूची के अनुक्रम में जारी  
प्रोविजनल चयन सूची में दिनांक 11.12.2015 को चयनित/नियुक्त आयुर्वेद  
चिकित्साधिकारियों के अतिरिक्त नवीन अभ्यर्थी जो सूची में दर्ज है उन्हें अपने  
दस्तावेज पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र/कार्मिक विभाग द्वारा वांछित  
शपथ पत्र दिनांक 26.02.2016 तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश है।

अतः उक्त निर्देशों की पालना में सम्बन्धित आशार्थी दिनांक 26.02.2016 तक  
प्रातः 11.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक कार्यालय दिवस में निम्नांकित दस्तावेज लेकर  
निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर लोहार्गल रोड अशोक मार्ग अजमेर में  
उपस्थित होवे।


- 1- गृह जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रलिस सत्यापन प्रमाण पत्र।
- 2- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (सी.एम.एच.ओ द्वारा जारी)
- 3- विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र।
- 4- धूमपान एवं दहेज संबधी प्रमाण पत्र।
- 5- सन्तान सम्बन्धी वचन पत्र।

11  
(सत्यनारायण शर्मा)  
अति. निदेशक

दिनांक 18.02.2016

क्रमांक प01(प्रति.1)आयु.चिकि.नियु0 /2015 / 4046  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक राजस्थान
2. सहायक प्रोग्रामर, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर को देकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर आज ही अपलोड करें।

  
अति. निदेशक